

भारत के 20.3 लाख पुलिस बल में 1000 से भी कम महिला वरिष्ठ अधिकारी हैं - 2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

इसमें दक्षिणी राज्य शीर्ष पर हैं और कर्नाटक पहले नंबर पर बना हुआ है

कुछ सुधार:

- देशभर के 78% पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क मौजूद हैं।
- जिला न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी 38% है।
- 86% जेलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है।
- कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च 2019 से 2023 के बीच दोगुना होकर 6.46 रूपए हो गया है।

लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब भी कुछ अहम कमियाँ बनी हुई हैं:

- कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश पुलिस में महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित कोटा को पूरा नहीं करता।
- जिला न्यायपालिका में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 5% और अनुसूचित जातियों की 14% है।
- पुलिस बल में एसटी की हिस्सेदारी 12% और एससी की 17% है।
- पैरालीमल वॉलंटियर्स की संख्या बीते पांच वर्षों में 38% घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है।
- देशभर की जेलों में सिर्फ 25 मनोवैज्ञानिक या मनोरोग विशेषज्ञ तैनात हैं।

नई दिल्ली, 15 अप्रैल: देश में न्याय-व्यवस्था की गुणवत्ता पर राज्यों की एकमात्र रैंकिंग '2025 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' (आईजेआर) आज जारी की गई। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि भारत के 20.3 लाख पुलिस बल में वरिष्ठ रैंक (सुपरिंटेंडेंट और डायरेक्टर जनरल) में 1000 से भी कम महिला अधिकारी हैं। गैर-आईपीएस अधिकारियों को जोड़ लें, तो यह संख्या केवल 25,000 के थोड़ा ऊपर है। नॉन-आईपीएस श्रेणी के कुल 3.1 लाख अधिकारियों में महिलाएं सिर्फ 8% हैं, जबकि पुलिस बल में कार्यरत कुल महिला कर्मियों का 90% हिस्सा कांस्टेबल स्तर पर है।

यह आवधिक रिपोर्ट इस बार भी कर्नाटक को शीर्ष स्थान पर रखती है, जो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में पहले स्थान पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान से चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा है, तेलंगाना (2022 में तीसरे) और केरल (2022 में छठे) स्थान पर रहे।

दक्षिण भारत के पांच राज्यों ने सभी चार मापदंडों-पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता-पर तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। कर्नाटक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस बल (कांस्टेबल और अधिकारी स्तर पर) और जिला न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण को पूरा किया है। केरल में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या सबसे कम है। तमिलनाडु की जेलों में बंदियों की दर सबसे कम (77%) है, जबकि राष्ट्रीय औसत 131% से अधिक है। पुलिस के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया।

सात छोटे राज्यों (जिनकी जनसंख्या एक करोड़ से कम है) में सिक्किम लगातार शीर्ष पर रहा (2022 में भी पहले स्थान पर था)। इसके बाद हिमाचल प्रदेश (2022 में छठे स्थान पर) और अरुणाचल प्रदेश (2022 में दूसरे स्थान पर) रहे। आईजेआर 2022 और 2025 के बीच यदि सुधार की बात करें तो बिहार ने सबसे अधिक सुधार दर्ज किया, इसके बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा का स्थान है। सुधार की अंक तालिका में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने हरियाणा, तेलंगाना और गुजरात सहित सात अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (सुधार स्कोरकार्ड के लिए इन्फोग्राफिक्स देखें)।

पुलिस में महिलाएं: क्या स्थिति है?

- पुलिस बल में कुल 2,42,835 महिला कर्मियों में से केवल 960 अधिकारी आईपीएस रैंक में हैं (कुल 7,450: डीआईजी, डीजी, आईजी, एआईजीपी, एडिशनल एसपी, एडीएलएसपी / डिप्टी कमिश्नर)।
- गैर-आईपीएस श्रेणी में 24,322 महिलाएं हैं (कुल 3,10,444: डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, एसआई और एसआई)।
- डिप्टी एसपी के कुल 11,406 पदों में से 1,003 पर महिलाएं हैं, जिनमें सबसे अधिक 133 मध्यप्रदेश में हैं।
- 2,17,553 महिलाएं कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर कार्यरत हैं (कुल 17,24,312)।

द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) की शुरुआत [टाटा ट्रस्ट्स](#) ने की थी और उसकी पहली रैंकिंग 2019 में प्रकाशित हुई थी। यह रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, जिसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काउज, कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और आईजेआर के डाटा पार्टनर हाऊ इंडिया लिक्स जैसे भागीदारों के साथ मिलकर बनाया गया है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए, जस्टिस (रिटायर्ड) मदन बी. लोकुर ने कहा, "हम न्याय प्रणाली की अग्रिम पंक्ति – जैसे पुलिस थानों, पैरालीगल वॉलंटियर्स और जिला अदालतों – को पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण देने में विफल रहे हैं। इसी कारण जनता का भरोसा टूटता है... यह संस्थाएं समान न्याय की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिरूप होनी चाहिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का चौथा संस्करण दर्शाता है कि जब संसाधनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, तो सुधार सीमित रह जाते हैं। दुर्भाग्यवश, न्याय पाने का बोझ आज भी उस व्यक्ति पर है जो न्याय मांग रहा है, न कि उस राज्य पर जो उसे प्रदान करना चाहिए।"

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की चीफ एडिटर सुश्री माया दारुवाला ने कहा, "भारत एक लोकतांत्रिक और कानून से चलने वाले देश के तौर पर सौ साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यदि न्याय प्रणाली में सुधार तय नहीं होंगे, तो कानून के राज और समान अधिकारों का वादा खोखला रहेगा। सुधार अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। संसाधनों से संपन्न, संवेदनशील न्याय प्रणाली एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जिसे हर नागरिक के लिए रोजमर्रा की सच्चाई बनना चाहिए।"

आईजेआर 2025 पिछली तीन रिपोर्ट की तरह परिमाण के आधार पर 24 महीने हुए कठिन शोध के माध्यम से अनिवार्य सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति के लिये न्याय की आपूर्ति करने वाली संरचनाओं को सक्षम बनाने में

राज्यों का प्रदर्शन आंकती है। यह रिपोर्ट न केवल विभागीय आंकड़ों को एकत्र करती है, बल्कि न्याय वितरण की चार प्रमुख संस्थाओं – पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता – को छह मानकों: बजट, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता, अधोसंरचना और रुझानों के आधार पर राज्य-घोषित मानकों की कसौटी पर जांचती है। इस संस्करण में 25 राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमताओं का भी पृथक मूल्यांकन किया गया है (अधिक जानकारी के लिए एसएचआरसी ब्रीफ देखें)। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए न्याय तक पहुंच और मध्यस्थता विषय पर विशेष निबंध भी शामिल हैं।

.....

18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है:

राज्य	रैंक 2025	रैंक 2022
कर्नाटक	1	1
आंध्र प्रदेश	2	5
तेलंगाना	3	3
केरल	4	6
तमिलनाडु	5	2
छत्तीसगढ़	6	9
मध्यप्रदेश	7	8
ओडिशा	8	11
पंजाब	9	10
महाराष्ट्र	10	12
गुजरात	11	4
हरियाणा	12	13
बिहार	13	16
राजस्थान	14	15
झारखण्ड	15	7
उत्तराखण्ड	16	14
उत्तर प्रदेश	17	18
पश्चिम बंगाल	18	17

7 छोटे राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है:

राज्य	रैंक 2025	रैंक 2022
सिक्किम	1	1
हिमाचल प्रदेश	2	6
अरुणाचल प्रदेश	3	2
त्रिपुरा	4	3
मेघालय	5	4
मिजोरम	6	5
गोवा	7	7

सुधार को प्रोत्साहन, पर अंतर अभी भी बरकरार:

रिक्तियां:

न्यायपालिका:

1.4 अरब लोगों के देश में भारत में कुल 21,285 न्यायाधीश हैं, यानी प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 जज। यह 1987 में विधि आयोग द्वारा सुझाए गए 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख की सिफारिश से काफी कम है। उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायपालिका में 21% पद रिक्त हैं। इससे न्यायाधीशों पर भारी कार्यभार पड़ता है, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में। उदाहरण के लिए, इलाहाबाद और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में एक न्यायाधीश पर औसतन 15,000 मामले लंबित हैं। वहीं, देशभर की जिला अदालतों में एक न्यायाधीश पर औसतन 2,200 मामले हैं।

पुलिस:

पुलिस विभाग में भी भारी रिक्तियां हैं। अधिकारियों के 28% और सिपाहियों के 21% पद खाली हैं। देश में पुलिस-जनसंख्या अनुपात 1:831 है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रत्येक एक लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, भारत में यह संख्या केवल 120 है (वास्तविक नियुक्तियों के अनुसार)।

कारागार:

अधिकारियों में 28% पद खाली हैं, कैडर स्टाफ में 28% और सुधारात्मक कर्मचारियों में 44% पद खाली हैं। जेल कर्मचारियों में उच्च स्तर की रिक्तियां चिंता का कारण बनी हुई हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 43% पद खाली हैं। जबकि मांडल प्रिजन मैनुअल(2016) में कैदी-डॉक्टर अनुपात पर गौर करें तो इसमें 300 कैदियों पर 1 डॉक्टर निर्धारित किया गया है, पर भारत का राष्ट्रीय औसत 775 कैदियों पर एक डॉक्टर है। वास्तव में, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई बड़े राज्यों में 1,000 से अधिक कैदियों पर एक डॉक्टर था।

फोरेंसिक: फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासनिक कर्मचारियों की 47% और वैज्ञानिक कर्मचारियों की 49% रिक्तियां हैं।

पैरालीगल वालंटियर्स या पीएलवी: सामुदायिक स्तर के पैरालीगल वालंटियर्स की संख्या 2019 और 2024 के बीच 38% तक गिर गई है, जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब, एक लाख की आबादी पर केवल 3 पैरालीगल वालंटियर्स हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रशिक्षित 53,000 से अधिक पैरालीगल वालंटियर्स में से, केवल एक तिहाई को ही वास्तव में तैनात किया गया था।

इंफ्रास्ट्रक्चर :

कछ बनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाले जेलों की संख्या में वृद्धि (86%), कोर्ट हॉल की कमी में थोड़ी गिरावट (14.5%), सीसीटीवी वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या में सुधार (83%) और प्रति जेल कानूनी सेवा क्लीनिक (1,330 जेलों में 1,215 क्लीनिक) हो गए हैं। गांवों में कानूनी सेवा क्लीनिकों की संख्या में कमी आई है (2017 में प्रति क्लीनिक 42 गांवों से घटकर 2024 में केवल 163)। अखिल भारतीय स्तर पर, जनवरी 2017 और जनवरी 2023 के बीच, ग्रामीण पुलिस स्टेशनों में 735 की कमी आई है, जबकि शहरी पुलिस स्टेशनों में 193 की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय स्तर पर जेलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर दिखाई पड़ता है। भारत की जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं, जिनकी राष्ट्रीय औसत ऑक्युपेंसी रेट 131% से अधिक है। 2022 तक, उत्तर प्रदेश की हर तीसरी जेल में 250% से अधिक की ऑक्युपेंसी रेट दर्ज की गई। अपनी वर्तमान दर पर, भारत की जेलों में कैदियों की संख्या 2030 तक 6.8 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि मौजूदा क्षमता की दर से इसकी जेल क्षमता 5.15 लाख तक बढ़ने की संभावना है।

दो-तिहाई से अधिक कैदी (76%) विचाराधीन हैं। विचाराधीन कैदियों का एक बड़ा हिस्सा जेलों में अधिक समय बिता रहा है, 3-5 साल के बीच जेलों में रहने वालों की हिस्सेदारी 2012 में 3.4% से लगभग दोगुनी होकर 2022 में 6% हो गई है। इसके अलावा, 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहने वालों की संख्या तीन गुना हो गई है, जो इसी अवधि में 0.8% से बढ़कर 2.6% हो गई है।

विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) का प्रदर्शन:

2019 और 2023 के बीच के आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन में महत्वपूर्ण अंतर है। इन समितियों ने पूरे देश में लगभग 2.5 लाख कैदियों की रिहाई की सिफारिश की है, और रिहाई की औसत दर 47 प्रतिशत है।

विविधता:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एसी/एसटी/ओबीसी): पुलिस बल का 59% हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मियों से बना है। हालांकि, पद के अनुसार इसमें काफी असमानता है। जबकि कॉन्स्टेबल स्तर पर 61% कर्मी एससी, एसटी या ओबीसी जातियों से हैं, वहीं डीएसपी जैसे वरिष्ठ पदों पर उनकी हिस्सेदारी घटकर केवल 16% रह जाती है।

न्यायाधीश: जिला न्यायपालिका में, केवल 5% न्यायाधीश अनुसूचित जनजातियों से और 14% अनुसूचित जातियों से हैं। 2018 से नियुक्त 698 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से केवल 37 न्यायाधीश एससी और एसटी श्रेणियों से हैं।

लिंग: विविधता पर बढ़ते ध्यान के साथ, पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़कर 12% हो गई है, हालांकि, अधिकारी स्तर पर यह केवल 8% पर स्थिर है। कुल महिला पुलिस बल का 89% हिस्सा केवल कॉन्स्टेबल पदों पर है।

जिला अदालतों (38%) में उच्च न्यायालयों (14%) और सर्वोच्च न्यायालय (6%) की तुलना में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी भी अधिक है। वर्तमान में, 25 उच्च न्यायालयों में केवल एक महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।

न्याय के लिए बजट:

कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च 7 रुपये तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि पुलिस पर खर्च 6 वर्षों में 55% बढ़ा है, और राष्ट्रीय औसत अब लगभग 1300 रुपये के करीब है। हालांकि, प्रशिक्षण पर खर्च बहुत कम बना हुआ है, पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट की राष्ट्रीय औसत हिस्सेदारी 1.25% है।

- कानूनी सहायता: कानूनी सहायता पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च मामूली 6.46 रुपये है।
- जेल: जेलों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खर्च 57 रुपये है। 2022-23 में, प्रति कैदी राष्ट्रीय औसत खर्च 2021-22 के 38,028 रुपये से बढ़कर 44,110 रुपये हो गया। आंध्र प्रदेश में प्रति कैदी वार्षिक खर्च सबसे अधिक 2,67,673 रुपये दर्ज किया गया है।
- न्यायपालिका: न्यायपालिका पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खर्च 182 रुपये है। कोई भी राज्य अपने कुल वार्षिक व्यय का एक प्रतिशत से अधिक न्यायपालिका पर खर्च नहीं करता है।
- पुलिस: पुलिस पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति खर्च 1,275 रुपये है - जो चारों स्तंभों में सबसे अधिक है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2025 ने कहा है कि न्याय व्यवस्था में तुरंत और बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इसने खाली पदों को जल्दी भरने और सभी तरह के लोगों को न्याय व्यवस्था में शामिल करने पर जोर दिया है। असली बदलाव लाने के लिए, रिपोर्ट ने कहा है कि न्याय देना एक आवश्यक सेवा होना चाहिए।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

वलय सिंह
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (indiajusticereport.org)
valaysingh@gmail.com
9717676026

Sources:



Centre for
Social Justice

COMMON
CAUSE

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative



VIDHI Centre for
Legal Policy

HowINDIALives

Police: Data on Police Organisation 2023, Bureau of Police Research and Development

Prisons: Prison Statistics India 2022, National Crime Records Bureau

Judiciary: 2024 & 2025- National Judicial Data Grid (NJDG), Court News, Supreme Court of India; eCourts Services; Websites and annual reports of High Courts, Department of Justice

Legal aid: 2024, Statistics from National Legal Services Authority

संलग्नक I :

देशभर के प्रमुख आंकड़े: एक नजर में

रिक्त पद :

देश भर में न्याय प्रणाली में निम्नलिखित पद रिक्त हैं :

- पुलिस : 21% (कॉन्स्टेबल्स); 28% (ऑफिसर्स)
- जेलों में : 28% (ऑफिसर्स), 28% (कैंडर स्टाफ), 44% (करेक्शनल स्टाफ), 40% (मेडिकल स्टाफ), 43% (मेडिकल ऑफिसर्स)
- न्यायालय : 33% (उच्च न्यायालय जज), 21% (ज़िला न्यायालय जज), 27% (उच्च न्यायालय कर्मचारी)
- वैधानिक सहयोग : 6% (डीएलएसए सेक्रेटरी)

सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम :

- पुलिस : बिहार में कॉन्स्टेबल के पदों की कमी 30% से घटकर 23% रह गई है, और कर्नाटक में पुलिस अधिकारियों के खाली पद 11% से घटकर सिर्फ 1.2% रह गए हैं।
- जेल : मध्य प्रदेश में मेडिकल अधिकारियों के खाली पद 72% से घटकर 31% हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के खाली पद 36% से घटकर 25% रह गए हैं।
- न्यायपालिका : पुदुचेरी में ज़िला न्यायाधीशों के खाली पद 58% से घटकर 28% हो गए हैं, और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमी 40% से घटकर शून्य हो गई है।
- वैधानिक सहयोग : अरुणाचल प्रदेश में डीएलएसए सचिवों के सभी पद पहले 100% खाली थे, जो अब पूरी तरह भर दिए गए हैं।

विविधता

एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व

- पुलिस में भागीदारी : ओबीसी: 31%, एससी : 17%, एसटी : 12%
- न्यायपालिका में भागीदारी : ओबीसी: 25.6%, एससी : 14%, एसटी : 5%
- कर्नाटक एकमात्र राज्य है जिसने लगातार ,एसस एसटी और ओबीसी आरक्षण के लक्ष्य को पूरा किया है, चाहे वह पुलिस अधिकारियों में हो या कॉन्स्टेबल स्तर पर।

आधारभूत संरचना

- सीसीटीवी: देश के करीब 17% पुलिस थानों में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। साथ ही, लगभग हर 3 में से 1 पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क भी मौजूद नहीं है।
- कैदियों की संख्या : देश की 56% यानी 724 जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा भरी हुई हैं। इनमें से करीब 20% (262 जेलों) में 150% से 250% तक कैदी भरे हुए हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति 176 जेलों की है, जहां 200% से भी ज्यादा कैदी रखे गए हैं।
- अंडरट्रायल : अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जेलों में 60% से अधिक कैदी अंडरट्रायल हैं। दिल्ली में यह संख्या सबसे अधिक है, जहां जेलों में 91% कैदी अंडरट्रायल हैं।

न्याय व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति : पिछले 5 वर्षों में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बदलाव पुलिस :

- महिलाओं की कुल भागीदारी पुलिस में साल 2016 में 7.28% थी, जो 2022 में बढ़कर 12.32% हो गई है।
- पुलिस अफसर स्तर पर, यह भागीदारी 5.5% से बढ़कर 7.9% तक पहुंची है।
- IPS (भारतीय पुलिस सेवा) में साल 2022 में कुल 960 महिलाएं कार्यरत थीं।
- इसके बावजूद, 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां अब भी पुलिस बल में 10% से कम महिलाएं हैं।

न्यायपालिका :

- ज़िला न्यायपालिका में महिला जजों की भागीदारी 2017 में 30% थी, जो 2025 में बढ़कर 38.3% हो गई है।
- वहीं, उच्च न्यायालयों में महिला जजों की संख्या 2018 में 11.4% थी, जो 2025 में 14% तक पहुंची है।

वैधानिक सहयोग:

- पैनल वकीलों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2018 में 18% थी, जो 2024 में बढ़कर 28% हो गई है।
- पैरा-लीगल वॉलंटियर्स (सहायक कानूनी स्वयंसेवक) में महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 में 36% थी, जो 2024 में बढ़कर 42% हो गई है।

काम का बोझ

- न्यायपालिका:
लंबित मामले: कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर, बाकी सभी हाईकोर्ट्स में हर दो में से एक मामले तीन साल से अधिक समय से लंबित है। ज़िला अदालतों में अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 40% से अधिक मामले तीन साल से ज्यादा समय से लंबित हैं।
- पुलिस विभाग:
प्रति व्यक्ति पुलिस बल: देश में औसतन 831 लोगों पर सिर्फ 1 सिविल पुलिसकर्मी तैनात है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी कम है।
- जेल विभाग:
मेडिकल ऑफिसर्स : 573,220 कैदियों के लिए सिर्फ 740 मेडिकल अधिकारी, यानी 775 कैदियों पर औसतन 1 डॉक्टर। पूरे देश की जेलों में सिर्फ 25 मनोवैज्ञानिक या मनोरोग विशेषज्ञ हैं।